न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 05 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेसपोडेंटगण
राणाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी बागथल तहसील भणियाणा, जिला जैसालमेर	1. भीखाराम पुत्र हीराराम 2. दीपाराम पुत्र साताराम 3. गूलाराम पुत्र साताराम 4. खेताराम पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी बागथल (रातड़िया) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 5. श्रीमान तहसीलदार पोकरण (वर्तमान भणियाणा)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 98 / 2010 बअनवान राणाराम बनाम भीखाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2010 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—23.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट राणाराम ने अपनी व उतरदाता संख्या 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 301 रकबा 199.13 बीघा मौजा बागथल पटवार हल्का रातड़िया तहसील पोकरण में आया हुआ है। उक्त वर्णित खातेदारी आराजी वादी / अपीलांट व प्रतिवादी / उतरदाता संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जबकि वादग्रस्त आराजी मौके पर वादी / अपीलांट व प्रतिवादी / उतरदाता संख्या 01 से 04 की आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर माफिक बंटवाडा के मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। हरतगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की मंशा के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में जल्दबाजी में पारित की गई। हल्का पटवारी व भूमिधारक तहसीलदार पोकरण द्वारा राजस्व अभियान 2010 कैम्प में मुर्तिब की गई मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए उत्तरदाता संख्या 05 के कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलांट के वास्तविक कब्जा काश्त की जांच किये बिना विभाजन प्रस्ताव को सही मानते हुए अंतिम डिक्री पारित कर दी जबकि मौका से कोई प्रारम्भिक डिक्री नहीं संगवाई गई है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलांट को मौके पर स्थित कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है। अपीलाधीन आराजी का बंटवारा By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2016-17 (Supp) Page 711

RRT 2017(1) Page 689

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में अपीलांटस को नहीं थी। आज से अर्सा 20 दिन पूर्व जब आलोच्य निर्णय व डिक्री की आड़ में उत्तरदाता मौके पर सीमाज्ञान करने आये तथा अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि में दखलदांजी व हस्तक्षेप करने लगे व अपीलांट को जबरन बेदखल करने का प्रयास करने लगे तब अपीलांट ने आलोच्य निर्णय की प्रमाणित नकले दिनांक 02.07.2020 को मांगी जो तैयार होकर अपीलांट को दिनांक 02.07.2020 को ही प्राप्त हुई और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2018(1) Page 601

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अपीलांटस के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांटस स्वयं वादी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की उपस्थिति में कैम्प कोर्ट में उभयपक्षकारान की आपति सहमति से लोक अदालत की भावना से पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूगिधारक (तहरीलदार) पोकरण स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर मातहत अदालत में पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस स्वयं के हस्ताक्षर है जिस पर दिनांक 14.12.2010 को अंतिम डिक्री जारी की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार पोकरण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 98/2010 बअनवान राणाराम बनाम भीखाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2010 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर